



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4986

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41700/2025

साजिद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता:

: राम शंकर मिश्रा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. सुश्री दीपा ओझा, अधिवक्ता (जो श्री राम शंकर मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रकरण प्रस्तुत कर रही थीं) तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 214/2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3, थाना कपूरपुर, जिला हापुड़ में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जमानत हेतु प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा पक्षपातपूर्ण उद्देश्य से इस मामले में झूठे रूप में फंसाया गया है। परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न गैंग-चार्ट में एक आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है जिसमें आवेदक जमानत पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित गैंग की गतिविधियों में किसी प्रकार की सहायता या उकसाहट की है। उक्त मामले को छोड़कर आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 27.10.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु आवेदक के विरुद्ध, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की समग्रता, प्रकरण की प्रकृति तथा साक्ष्यों पर विचार करते हुए, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं पाता हूँ कि यह जमानत दिए जाने का उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अभियुक्त-आवेदक साजिद को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, उसके द्वारा एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का खुलासा करने से रोक सके अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा तथा उन्हें भयभीत/आतंकित नहीं करेगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) मामले के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के समय।

(iv) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञान प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य के लिए तिथियाँ निर्धारित हों और गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

07 जनवरी 2026

पी.पी.